कार्यालय, बस्ती विकास प्राधिकरण बस्ती

पत्रांक 309 /ब0वि0प्रा0बस्ती दिनांक 22 मई, 2019

श्री कुवर कामेश्वर सिंह पुत्र स्व0 राजा ओंकार सिंह
पता–राजमहल, बस्ती मो0–बस्ती खास, पो0–गॉधीनगर
तहसील व जिला–बस्ती।

आपके पत्र दिनांक–07.05.2019 मानचित्र सं0–09/2019–20 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स, सिनेमा एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स निर्माण की मो0/ग्राम–बस्ती खास, पो0–गॉधीनगर तहसील व जिला–बस्ती के भूखण्ड सं0–952/2 स पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक–15.05.2019 से केवल पॉच वर्ष तक वैध है।
2. यह मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0, नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मॉगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नही होगा वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप नियमों के नियम–21 के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपेन्सी) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. स्थल पर 41 वृक्ष अवश्य लगाये व अन्य शर्ते मानचित्र पर अंकित कर दी गयी है। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
12. आप द्वारा लोक निर्माण विभाग, सीलिंग विभाग से अनापत्ति तथा स्ट्रक्चलर डिजाइन इत्यादि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

संलग्नकः– स्वीकृति मानचित्र की प्रति।

सचिव
बस्ती विकास प्राधिकरण,
बस्ती।

संख्याः– /ब0वि0प्रा0 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री अनिल कुमार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
बस्ती विकास प्राधिकरण,
बस्ती।

विकास प्राधिकरण बस्ती बस्ती

m.m.